

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 6271 / 12-10 अल्मोड़ा दिनांक 28-6-2023

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता ✓

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

विषय

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत द्वाराहाट-सुरईखेत मोटर मार्ग से बयेला नाड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (पुनरीक्षित आगणन) की स्वीकृति के अन्तर्गत वृक्षों के पातन के विषय में।

सन्दर्भ -

प्रमुख वन संरक्षक (Hoff) उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1257/P.O. दिनांक 03.06.2022।

उपरोक्त विषयक क्रम में सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित ऐसे प्रकरण जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति 27.11.2018 से पूर्व प्राप्त हो चुकी है परन्तु वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पायी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी है।

उक्त सम्बन्ध में प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की नवीन दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि निम्नानुसार जमा की जानी है।

1.	ईको क्लास श्रेणी	Vth
2.	हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	0.5 (50 प्रतिशत)
3.	एन0पी0वी0 की दर (प्रति है०)	1292850.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है०)	4.417
5.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रूपये)	5710518.00
6.	पूर्व में जमा की गयी एन0पी0वी0 धनराशि (रूपये)	3732365.00
7.	वर्तमान में देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रूपये)	1978153.00
(उन्नीस लाख अठहत्तर हजार एक सौ तिरपन मात्र)		

उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आपके द्वारा डिमांड नोट के साथ पूर्व में जमा की गयी धनराशि की रसीद ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जानी है, डिमांड नोट सत्यापित किये जाने के उपरान्त अतिरिक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है। तत्पश्चात आपके द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी है, जिससे प्रस्ताव में विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 6271 / 12-10 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

A E II वनभूमि सहायक अभि

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।